10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES

(65)

दे.दी. 3541 (S) 12-3-18

14-3-18

12-3-18

श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/1687

राजेन्द्रसिंह पिता अंतरसिंह

निवासी : ग्राम बलघारा, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर ....प्रार्थी

विरूध्द्

1. सजनसिंह पिता देवीसिंह पंवार

निवासी : ग्राम बलघारा, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

2. कमलसिंह पिता देवीसिंह पंवार

निवासी : सदर ....प्रतिप्रार्थीगण

दे.दी. 12-3-18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959:–

प्रार्थी की और से सदर निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है:–

यह कि, श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय सांवेर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/03/2018 जो कि उन्होनें प्रकरण क्रमांक–10 अपील/2016–17 मे पारित किया और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 47 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / पीबीआर / इंदौर / भूरा / 2018 / 1687

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–10–2018	आवेदक की ओर से श्री पीयूष जोशी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री बी0एल0गोमे उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायलय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भूराजस्व संहिता में दिनांक 25–09–2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदकपक्ष दिनांक 17–12–2018 को कलेक्टर जिला इंदौर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	